

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकप.18(12)एम.ई./ग्रुप-1/09

जयपुर, दिनांक:

22 APR 2014

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक  
मेडिकल कॉलेज,  
उदयपुर।

विषय:- अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 146 दिनांक 18.02.14

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अधीन प्राप्त प्रस्तावानुसार मेडिकल कॉलेज, उदयपुर से सम्बद्ध पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय में आवश्यक/अस्थाई आधार पर कार्यरत 05 नर्स ग्रेड-I कार्मिक की अनुबन्ध अवधि दिनांक:01.01.2014 से 30.06.14 तक अथवा नियमित रूप से चयनीत अभ्यार्थी उपलब्ध होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, तक अस्थाई सेवा अवधि में मूल सहमति में अंकित शर्तों के अध्यादीन किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

1. नर्स ग्रेड-II

क्र.स.	नाम
1.	श्रीमती पुष्पा लोहार
2.	श्रीमती बसन्ती माली
3.	श्री अजय सैन
4.	श्री गगन कुमार सैन
5.	श्री शंकर लाल डोंपी

शर्त:-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज यह सुनिश्चित करे कि यदि प्रस्तावित कार्मिकों की अस्थाई नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध, वित्त विभाग की सहमति से एवं निर्धारित प्रक्रिया की पालना के उपरांत की गई है, तो ही उक्त अभिवृद्धि मान्य होगी।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज यह सुनिश्चित करे कि संलग्न सूची में कार्यरत कार्मिक वर्तमान में भी कार्यरत है एवं कार्मिकों का कार्य संतोषजनक है तथा उनके द्वारा किसी भी प्रकार की आयोग्यता प्राप्त नहीं की गई है।
3. उक्त बढ़ाई गई अभिवृद्धि के दौरान इन पदों को नियमित रूप से विभागीय सेवा नियमानुसार भरने जाने का कार्यवाही सुनिश्चित करावे। विभाग याचिका सं. 15341/10 दिनांक 19.11.10 की वर्तमान स्थिति से अवगत करावे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई0डी0 संख्या:101400880 दिनांक: 04.03.14 एवं कार्मिक विभाग की आई0डी0 संख्या 236 दिनांक 13.03.14 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जाती की जाती है।

भवदीय,

(धन्ना लाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग
4. कार्मिक (क-2) विभाग।
5. अभिवृद्धि पत्रांक 146 दिनांक 18.02.14